सभी योजनाओं के शेष लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण करें : कलेक्टर

मण्डला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें रोजगारमूलक योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंक लिंकेज आदि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट, एलडीएम सुजय कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक (एलडीओ) श्री विनय मोरे, जिला प्रबंधक नाबार्ड देवब्रत पाल सहित संबंधित विभागों के प्रमुख एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं के शेष लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण करें। सभी संबंधित अधिकारी बैंक शाखा में योजना के लंबित प्रत्येक प्रकरण की पूरी डीटेल रखें और स्वयं फॉलोअप करें। सभी बैंक अपनी शाखावार आगामी वित्त वर्ष के लिए अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाकर एलडीएम को सबमिट करें। रोजगारमूलक योजनाओं के प्रकरणों में बैंकर्स सकारात्मक रूख अपनाते हुए उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के तहत प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उनमें ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों के फॉलोअप करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, एसएचजी लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वनिधि योजना, उद्यम क्रांति योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने कहा कि बैंकों के जिला समन्वयक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर ध्यान दें। प्रत्येक शिकायत पर 7 दिवस में रिप्लाई करें। कोई भी प्रकरण नान अटेंडेंट श्रेणी में न रहे। शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निकारण के प्रयास करें। ब्रांच मैनेजर्स आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए तैयारियाँ सुनिश्चित करें। प्रत्येक शाखा अपने-अपने सर्विस एरिया में फाईनेंसियल लिट्रेसी कैम्प भी आयोजित कराएं।

आचार्य विद्यासागर योजना तत्काल स्वीकृत

मण्डला। तहसील नैनपुर के ग्राम बंधा निवासी ओम सूर्यवंशी/छोटेलाल सूर्यवंशी की ओर से आचार्य विद्यासागर योजनांतर्गत डेयरी विकास के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन का कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा परीक्षण कराया गया। पशुपालन विभाग द्वारा पात्रतानुसार पशुपालक को मौके पर ही विभाग की आचार्य विद्यासागर डेयरी विकास योजना अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत कर बैंक को प्रेषित किया गया।

नेशनल लोक अदालत आठ को

मण्डला। 8 मार्च 2025 को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के द्वारा प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा।

निजी नलकूपों के खनन पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध

ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर जारी किया गया आदेश

मण्डला। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी जिला मण्डला मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत मण्डला जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मण्डला जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडकों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन किया जाएगा। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास कर रही है, ऐसी मशीनों को जप्त कर में एफआई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नही होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्ययोजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा, इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह आदेश 4 मार्च 2025 से लागू होगा और 31 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

सार-समाचार

चिलमन चौक और खैरी स्थित दीक्षा पैथालॉजी सील

मण्डला। मण्डला जिले में स्वास्थ्य सेवाएं में अनियमितताओं में सख्ती दिखाते हुए जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। चिलमन चौक और खैरी में संचालित दीक्षा पैथालॉजी लेब को बिना आवश्यक दस्तावेज और मान्य लाईसेंस न होने के कारण सील कर दिया गया है। इस कार्यवाही का नेतृत्व एसडीएम मण्डला और सिविल सर्जन की टीम ने किया। इन पैथालॉजी लेब संचालन को लेकर प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी इन शिकायतों के लिए टीम गठित की गई। जिसने मौके पर पहुंचकर जांच की जांच में पाया गया कि पैथालॉजी लेब आवश्यक कानून मानक का पालन नहीं कर रही थी कई अनियमिताएं सामने आई जिससे प्रशासन ने पैथालॉजी लेब सील कर दिया। इस कार्यवाही में एसडीएम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग रहा।

रोड पर खड़े वाहन छह तक हटाएं अन्यथा किए जाएंगे राजसात

मण्डला। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंडला से मिली जानकारी के अनुसार नगर के व्यस्त मार्ग कलेक्ट्रेट रोड एवं सैयद हैदर रजा मार्ग पर लम्बे समय से पुराने वाहन खड़े हैं। इस संबंध में नगरपालिका से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि बैगा-बैगी चौराहा से कलेक्ट्रेट रोड एवं योजना भवन के सामने सैयद रजा मार्ग पर खड़े पुराने दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के मालिक गुरूवार 6 मार्च 2025 प्रातः 8 बजे तक ले जावें। गुरूवार सुबह 8 बजे के पश्चात वाहनों की राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद बिछिया की फोटोयुक्त मतदाता सूची का पर्यवेक्षण कार्य सात से 12 तक

मण्डला। नगर परिषद बिछिया की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के प्रेक्षण हेतु श्री राजा सिंह परिहार, रा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) 146, वायसराय पार्क, बावडिया कला, ई-8, एक्सटेन्सन, अरेरा कालोनी भोपाल मोबाइल नम्बर 9406621016 को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक द्वारा मण्डला जिले में नगर परिषद बिछिया जिला मण्डला की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के पर्यवेक्षण कार्य 7 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक किया जाना निर्धारित है। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मण्डला जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक के भ्रमण एवं पर्यवेक्षण के दौरान आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं उनके साथ भ्रमण के लिये पी.के. कुस्मारे, मुख्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2 मण्डला को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी, प्रेक्षक के प्रवास के दौरान उनके ठहरने के स्थान में सम्पूर्ण व्यवस्था (जैसे कम्प्यूटर, नेट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं) करना सुनिश्चित करेंगे। प्रेक्षक के आगमन एवं जिले में भ्रमण के दौरान उनके कार्य सम्पादन हेतु श्री विशाल जांगजुड़े स्टेनोग्राफर कार्या. संभागीय प्रबंधक मोहगांव परियोजना मण्डल मण्डला को नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक के भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बिछिया संपर्क अधिकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आवश्यक सहयोग करेंगे।

सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी

मण्डला। न्यायालय तहसीलदार मंडला द्वारा तहसील के तीन पंचायतों के सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किया गया है। न्यायालय तहसीलदार से मिली जानकारी के अनुसार इन बकायादारों पर भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, डायवर्सन, भू-भाटक की राशि बकाया होने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 147 (क), 147 (ख), 147 (ख-ख), 147 (ख-ख-ख) एवं 147 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किए गए हैं। बकायादार दीपक इसरानी/गोपाल दास टिकरिया, जगत मरावी पिता गुलाब सिंह टिकरिया, जवाहर सिरवानी/हरदास टिकरिया, अनिल वीरानी/भोजराज देवरीदादर, महेन्द्र पमनानी/नरेश देवरीदादर, मयंक/बाबूलाल साहू कटरा, अरिहंत मेगा स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड मृदुला काल्पीवार कटरा को तीन दिवस का समय दिया गया है। निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा न किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जनांदोलनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विरोध

मण्डला, देशबन्धु। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) का हैदराबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन था, जो 1 से 4 मार्च तक चला। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, नेशनल अलायंस ऑफ एंटी-न्यूक्लियर मूवमेंट्स और चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष दादु लाल कुडापे एवं बरगी बांध विस्थापित मत्स्य संघ के अध्यक्ष मुन्ना बर्मन ने संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव रखा।

बताया गया कि परमाणु ऊर्जा के विस्तार की हालिया नीतियों का कड़ा विरोध करता है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में परमाणु संयंत्रों की स्थापना शामिल है। परमाणु ऊर्जा न तो सुरक्षित है, न सतत, और न ही आर्थिक रूप से व्यावहारिक। इसके पर्यावरणीय, सामाजिक और मानवीय नुकसान इसके कथित लाभों से कहीं अधिक हैं।

एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) और एनपीसीआईएल (न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के बीच 80,000 करोड़ के निवेश का समझौता, परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने की एक खतरनाक नीति है, जो जनसुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की पूरी तरह अनदेखी करती है। चुटका परमाणु संयंत्र और नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी जिलों में प्रस्तावित संयंत्र स्थानीय समुदायों के विस्थापन, विकिरण (रेडिएशन) के खतरे और दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय विनाश का कारण बनेंगे।

चुटका क्षेत्र में 2009 से आदिवासी समुदाय इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, जहां भूमि का जबरन अधिग्रहण किया गया और उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस परियोजना से मछुआरे, किसान और स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके बावजूद चुटका परमाणु परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो सरकार की जनविरोधी और कॉरपोरेट-हितैषी नीतियों को उजागर करता है।

परमाणु संयंत्रों के लिए आदिवासी, किसान और मछुआरों को उनकी भूमि से बेदखल किया जाना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और इससे उनकी आजीविका छिन रही है। इसके अलावा, सरकार द्वारा फ्रांस की ईडीएफ, रूस की रोसटॉम और अमेरिका की वैस्टींगहाउस इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन जैसी विदेशी परमाणु कंपनियों पर निर्भरता देश की संप्रभुता और सार्वजनिक जवाबदेही को भी संकट में डालती है।

परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह विकिरणीय कचरा, उच्च लागत और विनाशकारी दुर्घटनाओं के खतरे के साथ आती है। वैश्विक अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि सौर, पवन और छोटे विकेन्द्रित जलविद्युत ऊर्जा अधिक सुरक्षित और सतत समाधान हैं।

एनएपीएम परमाणु ऊर्जा के आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवीय लागतों को उजागर करने और सतत और लोकतांत्रिक ऊर्जा प्रणालियों की ओर न्यायसंगत परिवर्तन की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। परमाणु ऊर्जा विस्तार को तुरंत रोका जाना चाहिए, इससे पहले कि यह अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय और मानवीय तबाही को जन्म दे।

भारत को वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण योजनाओं को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहिए, जैसा कि राजीव गांधी सरकार के दौरान प्रस्तावित किया गया था। प्रस्ताव को 23 राज्य के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने सर्वसहमति से पारित किया।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत

मण्डला। मंगलवार की दोपहर नेहरू स्मारक सर्किट हाउस के सामने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाईक सवार को रौंद दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 51 जेटबी 6926 खापा से गिट्टी भरकर मंडला की ओर आ रहा था नेहरू स्मारक सर्किट हाउस के सामने महाराजपुर चंदन कॉलोनी निवासी सानिध्य कुशवाहा उम्र 20 वर्ष का एक्सीडेंट कर दिया जिससे मौके पर ही सानिध्य कुशवाहा की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिली पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं आमजनों की समस्याएं

मण्डला, देशबन्धु। जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आवेदकों की समस्याएं सुनी। 84 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभिन्न आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर सीएल वर्मा एवं जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर क्षमा सराफ सहित संबंधित विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे। आज सम्पन्न हुई जनसुनवाई में ग्राम नांदिया निवासी कमलेश भांवरे ने गरीबी रेखा के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने के संबंध में, महात्मा गांधी वार्ड मण्डला निवासी जगदीश बरमैया ने राशन न मिलने के संबंध में, ग्राम रमपुरी निवासी ओमकार ने अनुग्रह सहायता का लाभ दिलाने के संबंध में, ग्राम कोकेवाड़ा नैनपुर निवासी लामूसिंह मरकाम ने संबल कार्ड की राशि प्रदान कराने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर अंजनिया में कार्यक्रम

मण्डला। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय अंजनिया में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में प्रभारी प्राचार्य डॉ. घनश्याम झारिया के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एएसआई श्री मेहंत लाल धुर्वे ने साइबर सुरक्षा पर विचार व्यक्त करते हुए मोबाइल में आने वाले अनचाहे लिंक को टच न करने एवं गोपनीय ओटीपी शेयर न करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विद्यार्थियों एवं स्टॉफको दी। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम का संचालन प्रकोष्ठ प्रभारी श्री राजकुमार सिंगौर द्वारा किया गया।

वन परिक्षेत्र सूपखार में गश्ती के दौरान मिला नर बाघ का शव

मण्डला, देशबन्धु। कान्हा टाईगर रिजर्व से मिली जानकारी के अनुसार वन भूमि कक्ष क्रमांक 319 बीट पटुवा, वृत पटुवा, वन परिक्षेत्र सूपखार में वन अमले के द्वारा गश्ती के दौरान नर बाघ मृत पाया गया। डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आस-पास छानबीन की गई। वन्यजीव चिकित्सक डॉ. संदीप अग्रवाल कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, डॉ. राकेश वारेश्वा ब्लाक विटनरी अधिकारी बिरसा के द्वारा बाघ का पोस्टमार्टम किया गया। बाघ की मृत्यु का प्रथम दृष्ट्या कारण बाघों के आपसी संघर्ष में जबड़े की नीचे की हड्डी टूटने से चोट द्वारा प्रतीत होता है। बाघ को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शवदाह/भस्मीकरण की कार्यवाही क्षेत्र संचालक रवीन्द्रमणि त्रिपाठी, उपसंचालक श्री पुनीत गोयल, सहायक संचालक फेन श्री मुकेश कुमार जामोर, श्री जे.सी. भगत तहसीलदार बैहर, श्री परशुराम चौहान एन.टी.सीए. प्रतिनिधि, श्री चन्द्रेश खरे वन्यप्राणी अभिरक्षक (मानद), श्री संतराम मरावी सरपंच पटुवा व क्षेत्रीय अमले की उपस्थिति में की गई।

सुरजन सिंह की समस्या का हुआ तत्काल निराकरण

मण्डला। जनसुनवाई में कलेक्टर सोमेश मिश्रा के समक्ष सुरजन सिंह उइके ने फाइनेंस कंपनी से संबंधित आवेदन दिया। कलेक्टर श्री मिश्रा के निर्देशानुसार एलडीएम सुजय कुमार ने आवेदन की जांच कर, आवेदनकर्ता को बकाया राशि तत्काल वापस दिलाया। आवेदक सुरजन सिंह ने कहा कि मेरी समस्या का मौके पर ही निराकरण होने से संतुष्ट हूं, समस्या के निराकरण में एलडीएम सुजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा और जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं।

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र जबलपुर

भवन नामांतरण/हस्तांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजीव कालोनी मण्डला में भूखण्ड क्रमांक 314 श्रीमती मंगो बाई तेकाम पति श्री छदामी लाल तेकाम के नाम आवंटित है। आवंटी श्रीमती मंगो बाई तेकाम पति श्री छदामी लाल तेकाम की मृत्यु दिनांक 10.10.2022 को हो गई है एवं आवंटी के पति श्री छदामी लाल तेकाम की मृत्यु दिनांक 31.10.1998 को हो चुकी है। आवंटी के द्वारा मण्डल के साथ निष्पादित किये गये विक्रय विलेख दिनांक 27.02.2009 में अपने पुत्र श्री किशन लाल तेकाम को नामिनी नियुक्त किया गया था। आवंटी के पुत्र श्री किशन लाल तेकाम ने नामिनेशन आधार पर उक्त संपत्ति का नामांतरण स्वयं के नाम करने हेतु आवेदन संलग्न दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत किये है उसके आधार पर संपत्ति के नामांतरण की कार्यवाही इस कार्यालय में प्रचलन में है यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को उक्त भवन/भूखंड के हस्तांतरण/ नामांतरण बावत आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित एवं वैद्य आपत्ति सप्रमाण स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर राजीव कालोनी मण्डला में भवन क्रमांक क्रमांक 314 श्री किशन लाल तेकाम पिता स्व. छदामी लाल तेकाम के नाम हस्तांतरण/ नामांतरण की कार्यवाही की जावेगी एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/दावा मान्य नहीं होगा।

संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र जबलपुर
र.नं.- 3244